भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1994
दिनांक 17 दिसंबर, 2025 / 26 अग्रहायण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों की स्थिति और पुनर्वास के उपाय

1994. श्रीमती रेणुका चौधरी:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित अथवा आंशिक रुप से प्रभावित जिलों की राज्य-वार कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने राज्य प्रशासन से प्राप्त आकंड़ों के अलावा इन जिलों में जमीनी स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए कोई स्वतंत्र आकलन किया है;

(ग) क्या वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों, विशेषकर उन जिलों जहां उग्रवाद समाप्त हो गया है या काफी कम हो गया है, के लिए कोई समर्पित दीर्घकालिक पुनर्वास, विकास और पुनर्निर्माण योजना मौजूद है; और

(घ) विगत पांच वर्षों में वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों के पुनर्वास एवं विकास हेतु लक्षित सभी योजनाओ के अन्तर्गत आबंटित, जारी तथा वास्तव में उपयोग की गई धनराशि का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री नित्यानंद राय)

(क और ख): वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों को हितधारकों के साथ व्यापक समीक्षा, वामपंथी उग्रवाद से संबंधित हिंसा की तीव्रता, विभिन्न वामपंथी उग्रवादी संगठनों द्वारा प्राप्त संगठनात्मक समेकन, सशस्त्र दलमों की उपस्थिति आदि के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। वर्तमान में, 05 राज्यों में 11 वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित जिलें हैं। राज्य-वार विवरण इस प्रकार है-

राज्य सभा अतारांकित प्र. सं. 1994, दिनांक 17.12.2025

क्र.सं.	राज्य	जिलों की संख्या
1	छत्तीसगढ़	07
2	झारखण्ड	01
3	मध्य प्रदेश	01
4	महाराष्ट्र	01
5	ओडिशा	01

(ग और घ): भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार, 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' के विषय राज्य सरकारों के अधीन हैं। हालाँकि, भारत सरकार वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित राज्यों के प्रयासों में सहयोग दे रही है। वामपंथी उग्रवाद की समस्या से समग्र रूप से निपटने के लिए, 2015 में "वामपंथी उग्रवाद से निपटने हेतु राष्ट्रीय नीति एवं कार्य योजना" का अनुमोदन किया गया। इसमें सुरक्षा संबंधी उपायों, विकास संबंधी पहलों, स्थानीय समुदायों के अधिकारों और हकदारियों को सुनिश्चित करने आदि से जुड़ी एक बहुआयामी रणनीति की परिकल्पना की गई है। नक्सलवाद के समाधान हेतु सरकार ने उसके मुख्य कारण के निदान के लिए आदिवासी और दूरदराज के क्षेत्रों में विकास पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है। बेहतर कानून व्यवस्था और सुरक्षा स्थिति तथा बुनियादी ढांचे में निवेश से उन्नत सामाजिक - आर्थिक विकास के लिए अनुकूल वातावरण बना है।

"राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना 2015" के दृढ़ कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप हिंसा में लगातार कमी आई है और भौगोलिक विस्तार सीमित हुआ है। वामपंथी उग्रवाद, जो राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक गंभीर चुनौती रहा है, हाल के दिनों में काफी हद तक नियंत्रित हुआ है और अब केवल कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित रह गया है। वामपंथी उग्रवादियों द्वारा की गई हिंसा की घटनाएं वर्ष 2010 में 1936 के उच्च स्तर से 89% घटकर वर्ष 2025 में 222 हो गई हैं। नागरिकों और सुरक्षा बलों की परिणामी मृत्यु भी वर्ष 2010 में 1005 के उच्च स्तर से 91% घटकर वर्ष 2025 में 95 हो गई है। वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों की संख्या अप्रैल 2018 में 126 से घटकर 90, जुलाई 2021 में 70, अप्रैल 2024 में 38, अप्रैल 2025 में 18 तथा अकटूबर 2025 में घटकर 11 हो गई है, जिसमें अब केवल 3 जिले ही सर्वाधिक वामपंथी उग्रवाद प्रभावित हैं।

वामपंथी उग्रवादियों को मुख्यधारा में शामिल करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए, भारत सरकार और राज्यों ने अपनी व्यापक आत्मसमर्पण-सह-पुनर्वास नीतियाँ बनाई हैं। 'आत्मसमर्पण-सह-पुनर्वास' नीति

राज्य सभा अतारांकित प्र. सं. 1994, दिनांक 17.12.2025

के माध्यम से, भारत सरकार सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) योजना के तहत राज्यों के प्रयासों में सहयोग प्रदान करती है। आत्मसमर्पण करने वाले कैडरों के पुनर्वास पर वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों द्वारा किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति एसआरई योजना से की जाती है। पुनर्वास पैकेज में अन्य बातों के साथ-साथ उच्च रैंक वाले वामपंथी उग्रवादी कैडरों के लिए 5 लाख रुपये और अन्य वामपंथी उग्रवादी कैडरों के लिए 2.5 लाख रुपये का तत्काल अनुदान शामिल है। इसके अलावा, इस योजना के तहत हथियारों/गोला-बारूद के समर्पण के लिए प्रोत्साहन भी प्रदान किया जाता है। इसके अलावा, तीन वर्ष के लिए 10,000/- रुपये के मासिक वजीफे के साथ उनकी पसंद के व्यापार/व्यवसाय में प्रशिक्षण प्रदान करने का प्रावधान भी किया गया है। प्रभावित राज्यों ने अपनी आत्मसमर्पण सह पुनर्वास नीतियों को आकर्षक और समकालीन बनाने के लिए और संशोधित किया है। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक लगभग कुल 1643 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। इसका राज्य-वार और वर्ष-वार विवरण अनुलग्नक-I पर संलग्न है।

विकास उपायों में, भारत सरकार की प्रमुख योजनाओं के अलावा, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए विशिष्ट पहल की गई हैं, जिनमें सड़क नेटवर्क के विस्तार, दूरसंचार संपर्क में सुधार, शिक्षा, कौशल विकास और वित्तीय समावेशन पर विशेष जोर दिया गया है। विकास के उपायों पर की गई इन पहलों में से कुछ नीचे दी गई हैं:

- सड़क नेटवर्क के विस्तार के लिए, वामपंथी उग्रवाद से संबंधित दो विशिष्ट योजनाओं, अर्थात् सड़क आवश्यकता योजना (आरआरपी) और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्क परियोजना (आरसीपीएलडब्ल्यूईए) के अंतर्गत 14,987 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया गया है।
- वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में दूरसंचार संपर्क में सुधार के लिए 9,118 टावर स्थापित किए गए हैं।
- कौशल विकास के लिए, 46 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) और 49 कौशल विकास केन्द्र (एसडीसी) खोले गए हैं।
- जनजातीय क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए 179 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों (ईएमआरएस) संचालित किए गए है।
- वित्तीय समावेशन के लिए, डाक विभाग ने वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में बैंकिंग सेवाओं के साथ 6,025 डाकघर खोले हैं। सर्वाधिक वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में 1,804 बैंक शाखाएं और 1,321 एटीएम खोले गए हैं।

- विकास को और गति देने के लिए, विशेष केंद्रीय सहायता (एससीए) योजना के तहत वामपंथी उग्रवाद से सर्वाधिक प्रभावित जिलों में सार्वजनिक बुनियादी ढाँचे में क्रिटिकल गैप्स को भरने के लिए राशि प्रदान की जाती हैं। वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक लगभग कुल 1576 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। इसका राज्य-वार और वर्ष-वार विवरण अनुलग्नक-II पर संलग्न है।

*****

<u>राज्य सभा अतारांकित प्र.सं. 1994 दिनांक 17.12.2025</u>

अनुलग्नक-I

सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) योजना के तहत राज्यों को जारी की गई निधियों का विवरण

(करोड़ रुपये में)

राज्य	वित्तीय वर्ष				
	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
आंध्र प्रदेश	8.96	10.39	14.23	9.64	17.11
बिहार	14.23	11.71	14.15	13.11	8.69
छत्तीसगढ़	140.61	136.82	133.35	176.89	190.55
झारखण्ड	77.11	84.45	60.95	102.24	55.27
केरल	-	-	-	0.18	0.35
मध्य प्रदेश	0.83	5.08	4.97	6.96	5.16
महाराष्ट्र	32.25	10.01	15.15	37.00	10.74
ओडिशा	14.10	38.48	49.40	42.80	29.07
तेलंगाना	9.44	5.60	11.17	4.66	6.04
उत्तर प्रदेश	3.22	0.73	1.51	-	-
पश्चिम बंगाल	3.73	3.69	2.07	6.52	2.02
कुल	304.49	306.95	306.95	400.00	325.00

<u>राज्य सभा अतारांकित प्र. सं. 1994 दिनांक 17.12.2025</u>

अनुलग्नक-II

विशेष केंद्रीय सहायता (एससीए) योजना के तहत राज्यों को जारी की गई निधियों का विवरण

(करोड़ रुपये में)

राज्य	वित्तीय वर्ष				
	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
आंध्र प्रदेश	14.25	20	10.25	7.50	-
बिहार	80.00	60	18.38	7.50	-
छत्तीसगढ़	114.00	140	82.08	61.71	230.56
झारखण्ड	199.00	160	54.23	52.01	27.47
महाराष्ट्र	-	7.50	9.05	7.80	15.00
ओडिशा	28.50	60	20.76	3.11	1.94
तेलंगाना	14.25	20	10.25	7.50	-
मध्य प्रदेश	-	20	2.50	7.11	-
केरल	-	-	2.50	-	-
कुल	450.00	487.50	210.00	154.24	274.97

****